



राजस्थान शासन

परिवर्तित
आय-व्ययक एक दृष्टि में
***Modified
Budget At A Glance
2019-20***



राजस्थान शासन

परिवर्तित
आय—व्ययक एक दृष्टि में
Modified
Budget At A Glance
2019-20

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
RAJASTHAN, JAIPUR

परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में
MODIFIED BUDGET AT A GLANCE
2019-20

(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts 2017-18	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2018-19	संशोधित अनुमान R.E. 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20
1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां Revenue Receipts	12730718.17	15166350.41	14818400.62	16400463.42
(i) राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	5060541.34	5809910.67	6190701.29	7374256.90
(ii) केन्द्रीय करों में हिस्सा Share in Central Taxes	3702801.00	4330966.02	4185235.00	4446186.00
(iii) कर भिन्न राजस्व Non-Tax Revenue	1573371.72	2039741.70	1996640.60	1912411.84
(iv) केन्द्रीय सहायता Union Grant	2394004.11	2985732.02	2445823.73	2667608.68
2 पूंजीगत प्राप्तियां (उदय योजना सहित) (i+ii+iii)	5217208.28	6066161.53	6408621.65	6900176.61
Capital Receipts (With Uday Scheme)				
2अ पूंजीगत प्राप्तियां (उदय योजना रहित) (iअ+ii+iiiअ)	3717208.28	4566161.53	4908621.65	5427980.53
Capital Receipts (Without Uday Scheme)				
(i) ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली (उदय योजना सहित) Recovery of Loans & Advances (With Uday Scheme)	1513341.07	1573424.76	1566235.93	1619250.90
इसमें से उदय योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण का अंशपूँजी एवं सहायतार्थ अनुदान में रूपान्तरण of which Conversion of Loan into Grant and Equity under Uday Scheme	(1500000.00)	(1500000.00)	(1500000.00)	(1472196.08)
(iअ) उधार एवं अग्रिम की वसूली (उदय योजना रहित) Recovery of Loans & Advances (Without Uday Scheme)	13341.07	73424.76	66235.93	147054.82
(ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां Misc. Capital Receipts	1660.94	3000.00	2000.00	2500.00
(iii) लोक ऋण, शुद्ध लोक लेखा तथा आकस्मिकता निधि (उदय योजना सहित) Public Debt, Net Public Account and contingency Fund (With Uday Scheme)	3702206.27	4489736.77	4840385.72	5278425.71
(iiiअ) लोक ऋण, शुद्ध लोक लेखा तथा आकस्मिकता निधि (उदय योजना रहित) Public Debt, Net Public Account and Contingency Fund (Without Uday Scheme)	3702206.27	4489736.77	4840385.72	5278425.71
(इसमें से पुनर्भुगतान) (of which Repayments)	(1167365.69)	(1683569.55)	(1691971.88)	(2004352.87)
2.1 शुद्ध लोक ऋण तथा लोक लेखा (उदय योजना सहित) Net Public Debt and Public Account (With Uday Scheme)	2534840.58	2806167.22	3148413.84	3274072.84
2.1अ शुद्ध लोक ऋण तथा लोक लेखा (उदय योजना रहित) Net Public Debt and Public Account (Without Uday Scheme)	2534840.58	2806167.22	3148413.84	3274072.84
3 कुल प्राप्तियां (उदय योजना सहित) (1+2) Total Receipts (With Uday Scheme)	17947926.45	21232511.94	21227022.27	23300640.03
3अ कुल प्राप्तियां (उदय योजना रहित) (1+2अ) Total Receipts (Without Uday Scheme)	16447926.45	19732511.94	19727022.27	21828443.95

परिवर्तित आय-व्यय एक दृष्टि में
MODIFIED BUDGET AT A GLANCE

2019-20

(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts	आय-व्यय अनुमान B.E.	संशोधित अनुमान R.E.	आय-व्यय अनुमान (परि.) B.E.(Modi.)
	2017-18	2018-19	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
4 राजस्व व्यय (उदय योजना सहित) Revenue Expenditure (With Uday Scheme)	14584151.79	16911835.33	17300891.50	19101960.84
(इसमें से ब्याज की अदायगी) (of which Interest Payment)	1971999.19	2141262.06	2173737.40	2313265.66
4अ राजस्व व्यय (उदय योजना रहित) Revenue Expenditure (Without Uday Scheme)	13384151.79	15711835.33	16100891.50	17720313.76
(इसमें से ब्याज की अदायगी) (of which Interest Payment)	1971999.19	2141262.06	2173737.40	2313265.66
5 पूंजीगत व्यय (उदय योजना सहित) Capital Expenditure (With Uday Scheme)	3363095.48	4315630.55	3924997.15	4192440.35
5अ पूंजीगत व्यय (उदय योजना रहित) Capital Expenditure (Without Uday Scheme)	3063095.48	4015630.55	3624997.15	4101891.35
6 कुल व्यय (उदय योजना सहित) (4+5) Total Expenditure (With Uday Scheme)	17947247.27	21227465.88	21225888.65	23294401.19
6अ कुल व्यय (उदय योजना रहित) (4अ+5अ) Total Expenditure (Without Uday Scheme)	16447247.27	19727465.88	19725888.65	21822205.11

क्रमशः / Contd...

परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में
MODIFIED BUDGET AT A GLANCE
2019-20

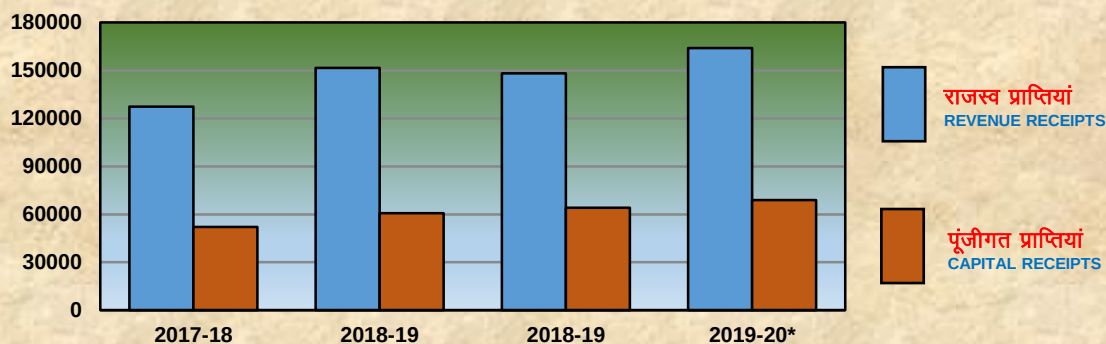
(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts 2017-18	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2018-19	संशोधित अनुमान R.E. 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20
1	2	3	4	5
7 राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-) (1-4) (उदय योजना सहित) Revenue Surplus (+) / Deficit (-) (With Uday Scheme)	-1853433.62	-1745484.92	-2482490.88	-2701497.42
7अ राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-) (1-4अ) (उदय योजना रहित) Revenue Surplus(+) / Deficit (-) (Without Uday Scheme)	-653433.62	-545484.92	-1282490.88	-1319850.34
8 बजट आधिक्य (+) / घाटा (-) (3-6) Budgetary Surplus (+) / Deficit (-)	679.18	5046.06	1133.62	6238.84
9 राजकोषीय घाटा (उदय योजना सहित) Fiscal Deficit (With Uday Scheme)	2534161.40	2801121.16	3147280.22	3267834.00
9अ राजकोषीय घाटा (उदय योजना रहित) Fiscal Deficit (Without Uday Scheme)	2534161.40	2801121.16	3147280.22	3267834.00
10 प्रारम्भिक आधिक्य (+) / घाटा (-) (उदय योजना सहित) Primary Surplus (+) / Deficit (-) (With Uday Scheme)	-562162.21	-659859.10	-973542.82	-954568.34
10अ प्रारम्भिक आधिक्य (+) / घाटा (-) (उदय योजना रहित) Primary Surplus (+) / Deficit (-) (Without Uday Scheme)	-562162.21	-659859.10	-973542.82	-954568.34

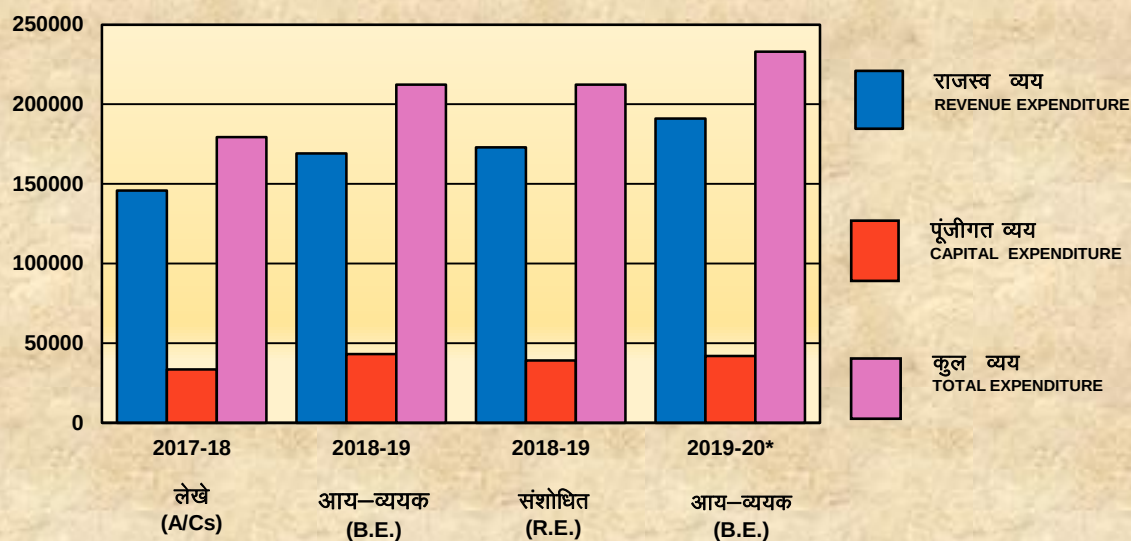
परिवर्तित आय व्ययक एक दृष्टि में MODIFIED BUDGET AT A GLANCE

₹ करोड़ / Crore

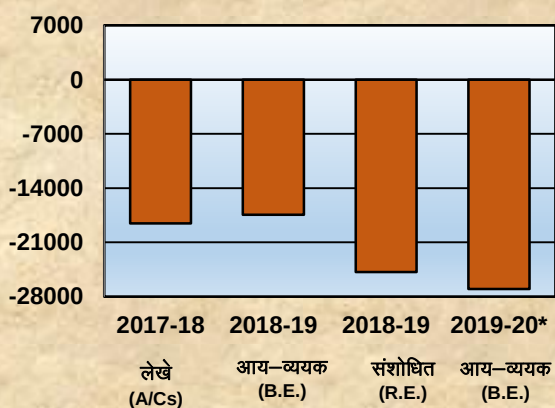
प्राप्तियां RECEIPTS



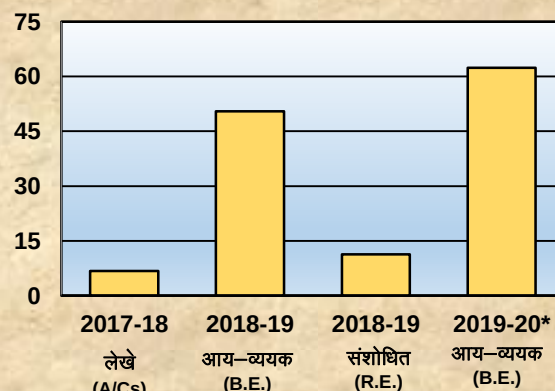
व्यय EXPENDITURE



राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-) REVENUE SURPLUS (+) / DEFICIT (-)



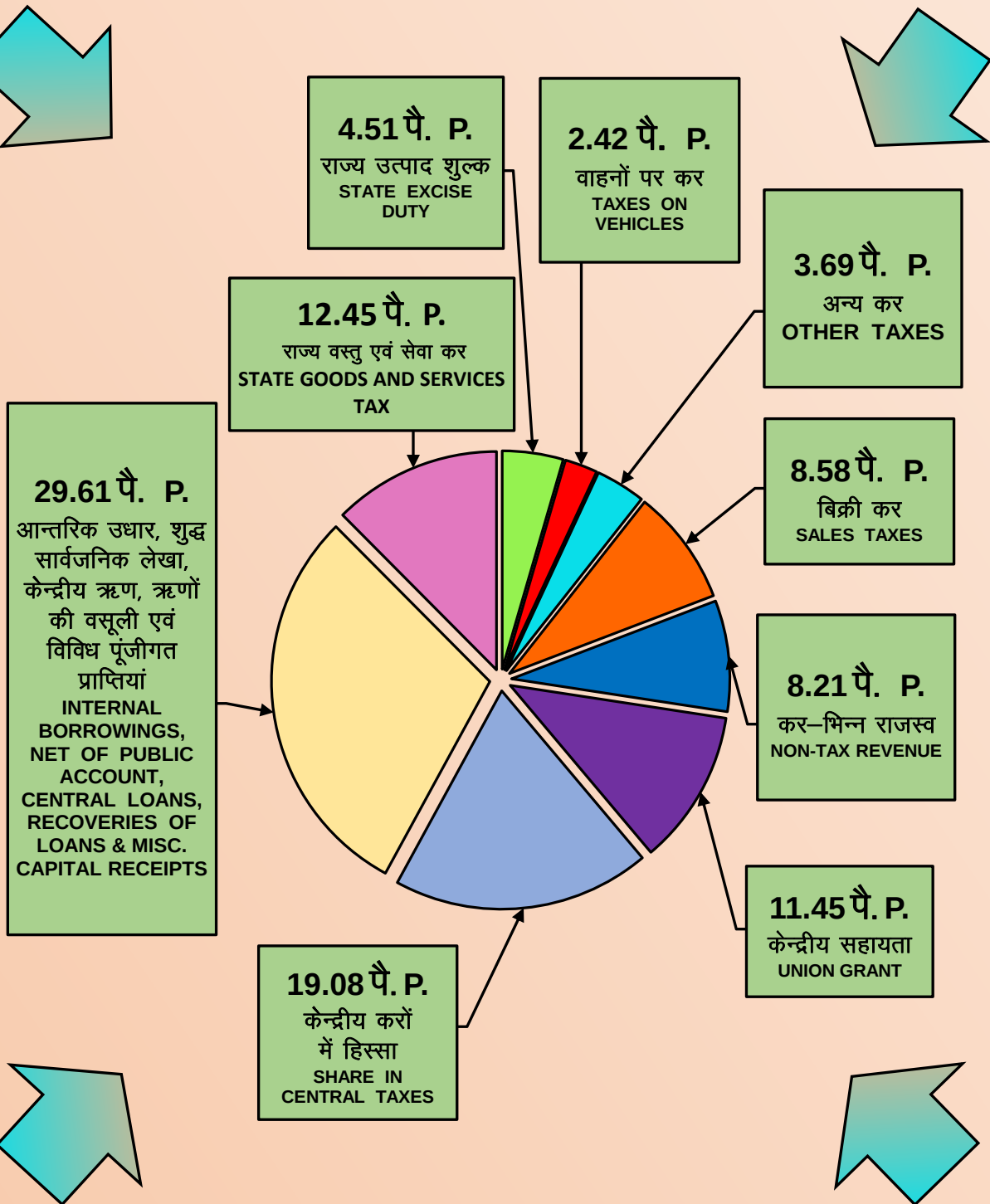
बजट आधिक्य (+) / घाटा (-) BUDGET SURPLUS (+) / DEFICIT (-)



* परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान Modified Budget

रुपया आता है

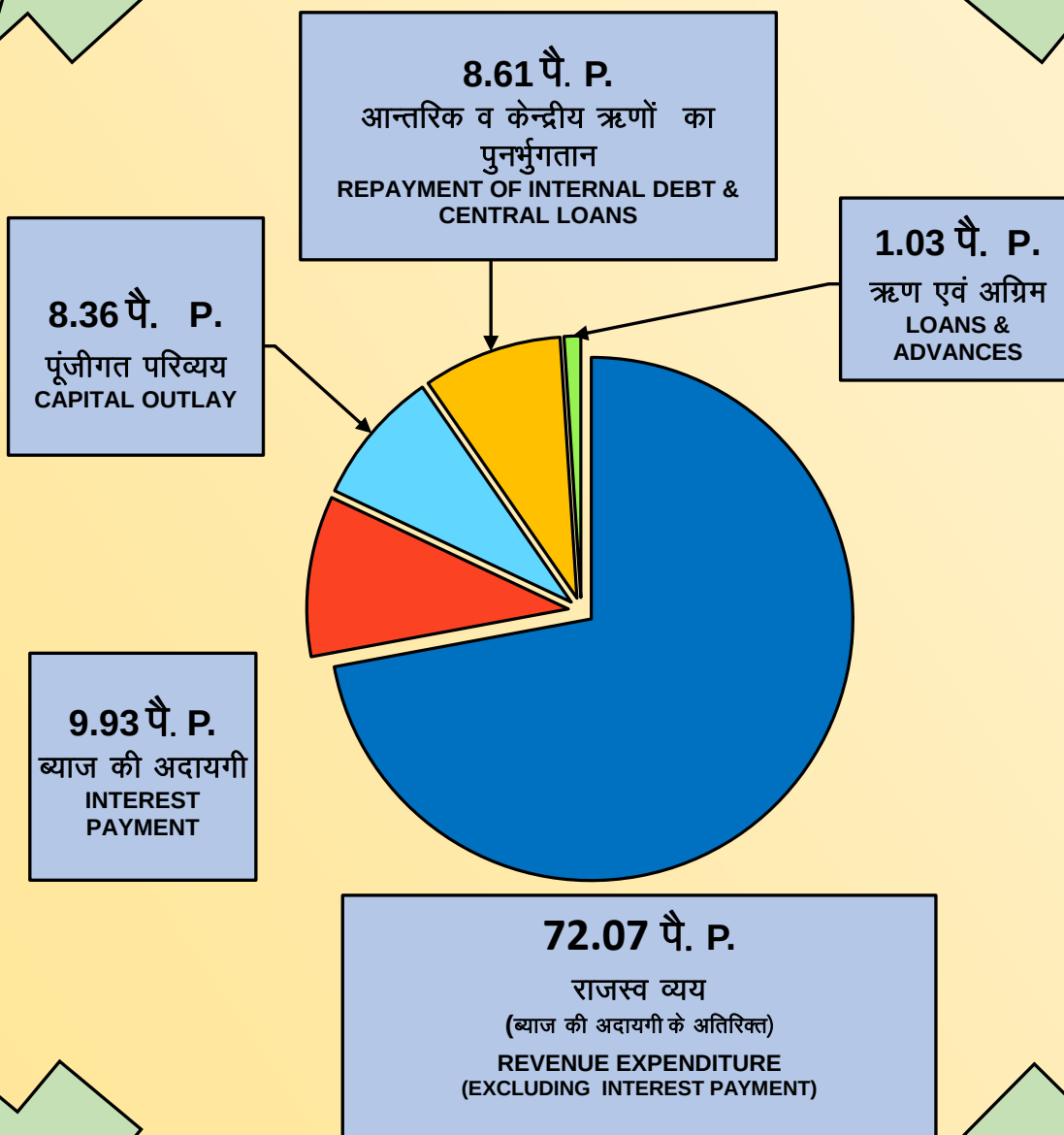
RUPEE COMES FROM



पै. — पैसा P. — Paise

रुपया जाता है

RUPEE GOES TO



पै. – पैसा P. – Paise

**प्राप्तियां
RECEIPTS**

(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts 2017-18	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2018-19	संशोधित अनुमान R.E. 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20
1	2	3	4	5
1 स्वयं का कर राजस्व Own Tax Revenue	5060541.34	5809910.67	6190701.29	7374256.90
(i) राज्य वस्तु एवं सेवा कर State Goods and Services Tax	1213702.23	2100000.00	2350000.00	2900000.00
(ii) भू-राजस्व Land Revenue	36386.46	58710.50	46316.50	42655.50
(iii) मुद्रांक एवं पंजीयन Stamps & Registration	367477.85	425000.00	475000.00	535000.00
(iv) राज्य उत्पाद शुल्क State Excise Duty	727583.41	930000.00	930000.00	1050000.00
(v) बिक्री कर Sales Tax	1900824.11	1560000.00	1650000.01	2000000.01
(vi) वाहनों पर कर Tax on Vechicles	436296.66	490000.00	500000.00	565000.00
(vii) विद्युत पर कर तथा शुल्क Taxes & Duties on Electricity	337666.82	245000.00	233950.24	280401.00
(viii) अन्य कर एवं शुल्क Other Taxes & Duties	40603.80	1200.17	5434.54	1200.39
2 केन्द्रीय करों में हिस्सा Share in Central Taxes	3702801.00	4330966.02	4185235.00	4446186.00
(i) वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax	425652.00	1509136.02	1115295.00	1210766.00
(ii) आयकर Income Tax	957100.00	1082846.00	1071766.00	1158053.00
(iii) निगम कर Corporation Tax	1133429.00	1249889.00	1455299.00	1514899.00
(iv) संघ उत्पाद शुल्क Union Excise Duty	390450.00	219591.00	197130.00	242457.00
(v) सीमा शुल्क Custom Duty	373530.00	245958.00	296633.00	320051.00
(vi) सेवा कर Service Tax	422675.00	14799.00	38839.00	0.00
(vii) अन्य कर Other Taxes	-35.00	8747.00	10273.00	-40.00

**प्राप्तियां
RECEIPTS**

(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts 2017-18	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2018-19	संशोधित अनुमान R.E. 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20
1	2	3	4	5
3 कर भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	1573371.72	2039741.70	1996640.60	1912411.84
(i) ब्याज प्राप्तियां Interest Receipts	485890.22	632380.94	581044.32	384199.57
(ii) लाभांश एवं लाभ Dividends & Profits	6676.38	7100.22	7587.34	8345.00
(iii) अन्य कर भिन्न राजस्व Other Non-Tax Revenue	1080805.12	1400260.54	1408008.94	1519867.27
4 केन्द्रीय सहायता Union Grant	2394004.11	2985732.02	2445823.73	2667608.68
5 कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4) Total Revenue Receipts	12730718.17	15166350.41	14818400.62	16400463.42

क्रमशः / Contd...

**प्राप्तियां
RECEIPTS**

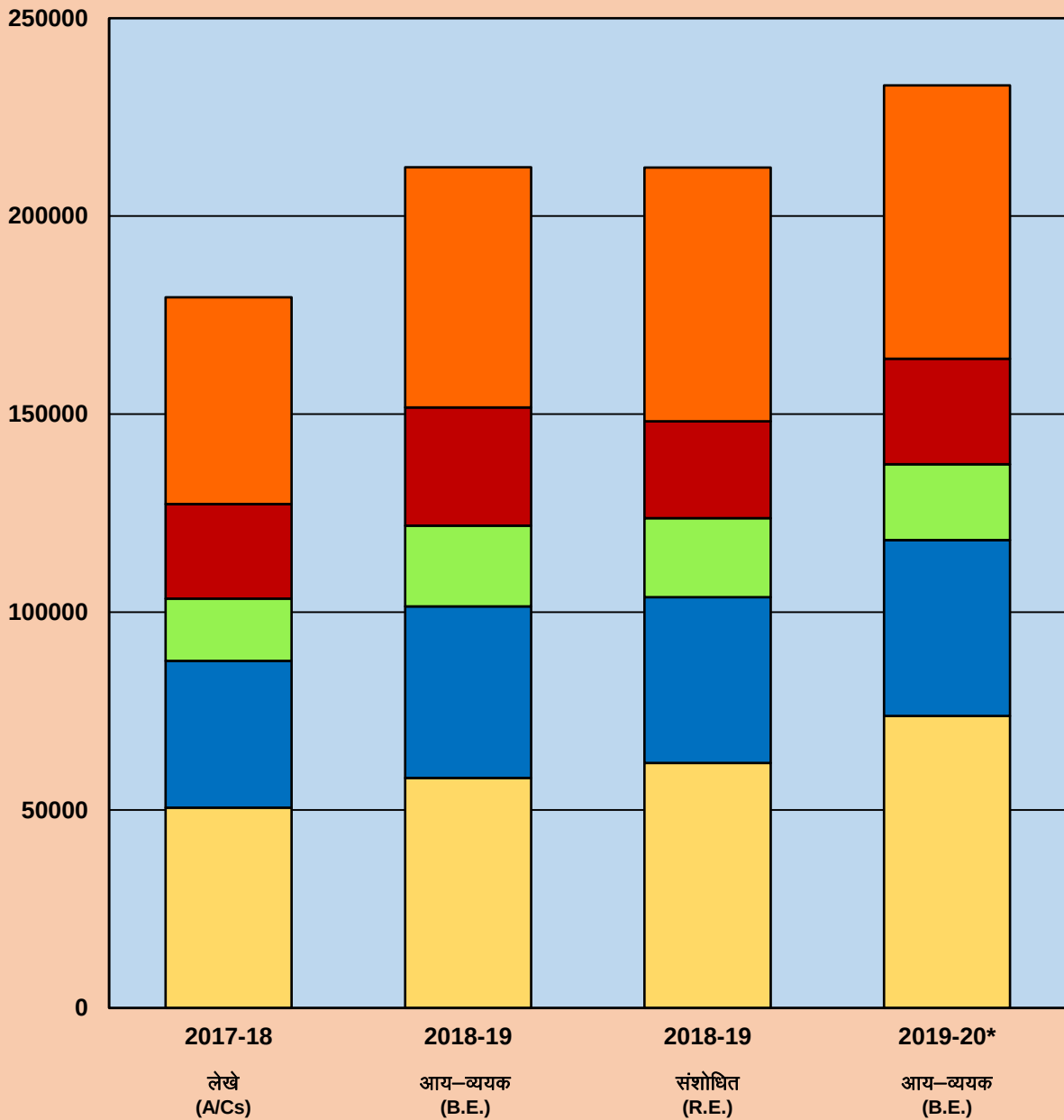
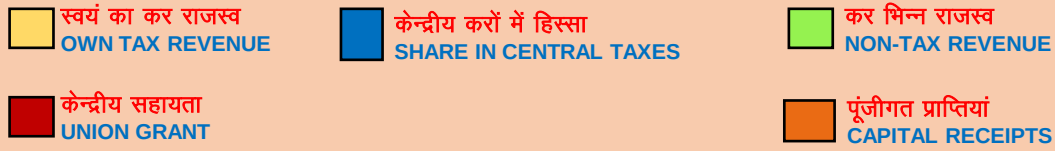
(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts 2017-18	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2018-19	संशोधित अनुमान R.E. 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20
1	2	3	4	5
6 पूंजीगत प्राप्तियां (उदय योजना सहित) Capital Receipts (With Uday Scheme)	5217208.28	6066161.53	6408621.65	6900176.61
6अ पूंजीगत प्राप्तियां (उदय योजना रहित) Capital Receipts (Without Uday Scheme)	3717208.28	4566161.53	4908621.65	5427980.53
(i) उधार एवं अग्रिम की वसूली (उदय योजना सहित) Recovery of Loans & Advances (With Uday Scheme)	1513341.07	1573424.76	1566235.93	1619250.90
इसमें से उदय योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण का अंशपूँजी एवं सहायतार्थ अनुदान में रूपान्तरण of which Conversion of Loan into Grant and Equity under Uday Scheme	(1500000.00)	(1500000.00)	(1500000.00)	(1472196.08)
(i)अ उधार एवं अग्रिम की वसूली (उदय योजना रहित) Recovery of Loans & Advances (Without Uday Scheme)	13341.07	73424.76	66235.93	147054.82
(ii) आन्तरिक ऋण (उदय योजना सहित) Internal Debt (With Uday Scheme)	2699966.27	3826729.17	3874470.01	4004210.00
(ii)अ आन्तरिक ऋण (उदय योजना रहित) Internal Debt (Without Uday Scheme)	2699966.27	3826729.17	3874470.01	4004210.00
(iii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	155690.33	261153.11	266489.38	464059.09
(iv) शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Account	846549.67	401854.49	699426.33	810156.62
(v) विविध पूंजीगत प्राप्तियां Misc. Capital Receipts	1660.94	3000.00	2000.00	2500.00
7 कुल प्राप्तियां (5+6) (उदय योजना सहित) Total Receipts (With Uday Scheme)	17947926.45	21232511.94	21227022.27	23300640.03
7अ कुल प्राप्तियां (5+6अ) (उदय योजना रहित) Total Receipts (Without Uday Scheme)	16447926.45	19732511.94	19727022.27	21828443.95

प्राप्तियां

RECEIPTS

₹ करोड़ / Crore



* परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान Modified Budget

**व्यय
EXPENDITURE**

(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts	आय-व्ययक अनुमान B.E.	संशोधित अनुमान R.E.	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.)
	2017-18	2018-19	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
I राजस्व व्यय (उदय योजना सहित) (i+ii+iii+iv) Revenue Expenditure (With Uday Scheme)	14584151.79	16911835.33	17300891.50	19101960.84
Iअ राजस्व व्यय (उदय योजना रहित) (i+ii+iiiअ+iv) Revenue Expenditure (Without Uday Scheme)	13384151.79	15711835.33	16100891.50	17720313.76
(i) सामान्य सेवाएं General Services	4345035.27	5336030.47	5501666.08	5828009.23
(ii) सामाजिक सेवाएं Social Services	5306407.06	6445623.31	6825822.61	7662674.25
(iii) आर्थिक सेवाएं (उदय योजना सहित) Economic Services (With Uday Scheme)	4932698.46	5130160.68	4973388.95	5611256.13
(iii)अ आर्थिक सेवाएं (उदय योजना रहित) Economic Services (Without Uday Scheme)	3732698.46	3930160.68	3773388.95	4229609.05
(iv) सहायता अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contributions	11.00	20.87	13.86	21.23

क्रमशः / Contd...

व्यय
EXPENDITURE

(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts 2017-18	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2018-19	संशोधित अनुमान R.E. 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20
1	2	3	4	5
II पूंजीगत व्यय (उदय योजना सहित) (1+2+3) Capital Expenditure (With Uday Scheme)	3363095.48	4315630.55	3924997.15	4192440.35
IIअ पूंजीगत व्यय (उदय योजना रहित) (1अ+2+3अ) Capital Expenditure (Without Uday Scheme)	3063095.48	4015630.55	3624997.15	4101891.35
1. पूंजीगत परिव्यय (i+ii+iii) (उदय योजना सहित) Capital Outlay (With Uday Scheme)	2062328.37	2574030.23	2106158.74	1947233.72
1अ पूंजीगत परिव्यय (i+ii+iiiअ) (उदय योजना रहित) Capital Outlay (Without Uday Scheme)	1762328.37	2274030.23	1806158.74	1856684.72
(i) सामान्य सेवाएं General Services	52714.22	73462.96	69163.15	79313.80
(ii) सामाजिक सेवाएं Social Services	722137.54	940878.08	763372.13	818871.58
(iii) आर्थिक सेवाएं (उदय योजना सहित) Economic Services (With Uday Scheme)	1287476.61	1559689.19	1273623.46	1049048.34
(iii)अ आर्थिक सेवाएं (उदय योजना रहित) Economic Services (Without Uday Scheme)	987476.61	1259689.19	973623.46	958499.34

क्रमशः / Contd...

**व्यय
EXPENDITURE**

(₹ लाख / Lakh)

विवरण Particulars	लेखे Accounts 2017-18	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2018-19	संशोधित अनुमान R.E. 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20
1	2	3	4	5
2. लोक ऋण Public Debt	1167365.69	1683569.55	1691971.88	2004352.87
3. ऋण एवं अग्रिम (उदय योजना सहित) Loan and Advances (With Uday Scheme)	133401.42	58030.77	126866.53	240853.76
3अ ऋण एवं अग्रिम (उदय योजना रहित) Loans and Advances (Without Uday Scheme)	133401.42	58030.77	126866.53	240853.76
कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत व्यय) (उदय योजना सहित) (I+II) Total Expenditure (Revenue + Capital) (With Uday Scheme)	17947247.27	21227465.88	21225888.65	23294401.19
कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत व्यय) (उदय योजना रहित) (Iअ+IIअ) Total Expenditure (Revenue + Capital) (Without Uday Scheme)	16447247.27	19727465.88	19725888.65	21822205.11

व्यय

EXPENDITURE

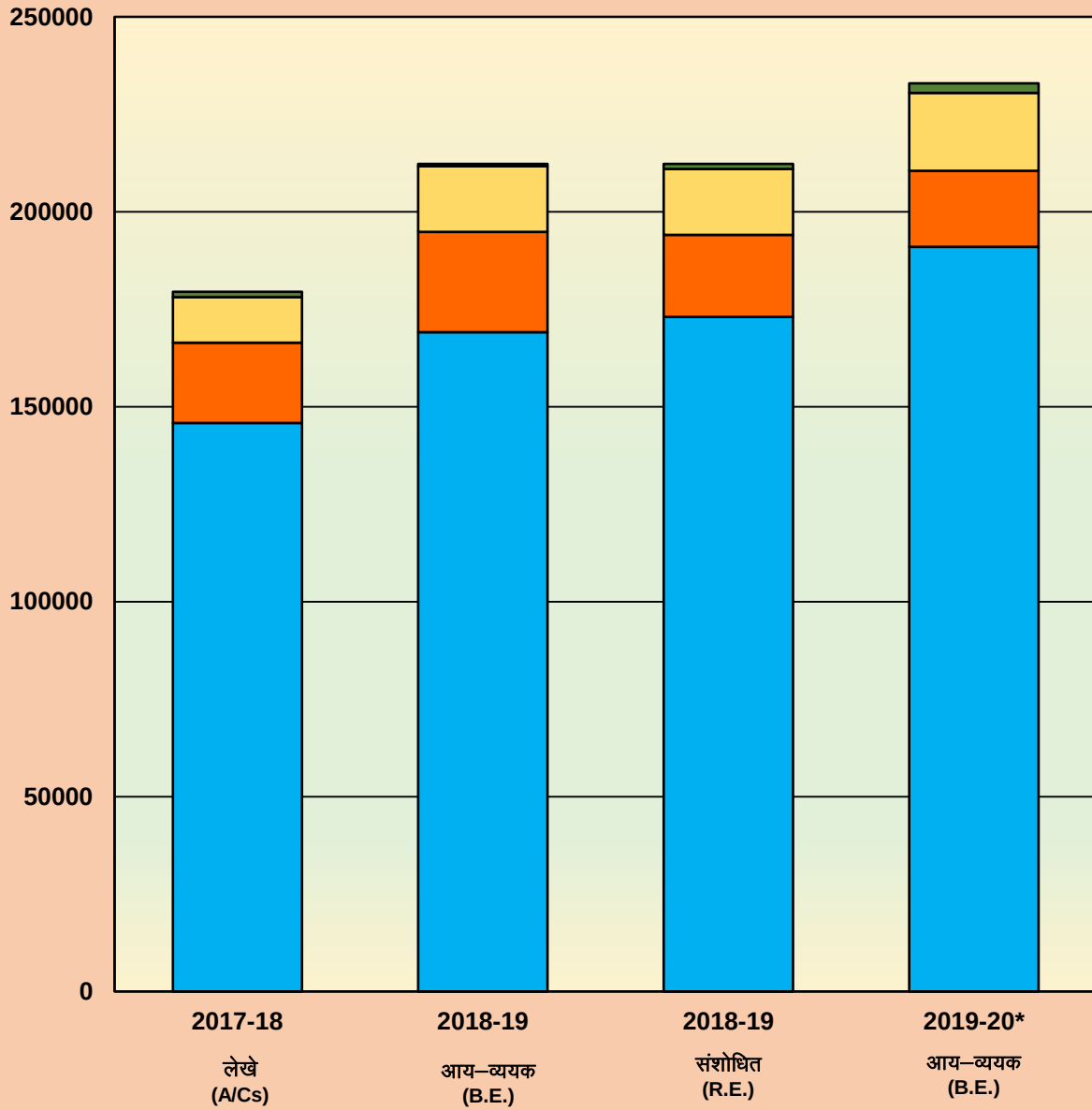
राजस्व व्यय
REVENUE EXPENDITURE

पूंजीगत परिव्यय
CAPITAL OUTLAY

लोक ऋण
PUBLIC DEBT

ऋण एवं अग्रिम
LOAN AND ADVANCES

₹ करोड़ / Crore



* पारंपारित आय-व्ययक अनुमान Modified Budget

मुख्य विशेषताएं

प्रस्तावित योजना / परियोजनाओं के उद्देश्य

2019—20

योजनाओं के परिवर्तित उद्ब्यय 2019-20 के मुख्य बिन्दु

वर्ष 2019-20 के परिवर्तित उद्ब्यय में योजना/परियोजनाओं हेतु ₹1,16,735.96 करोड़ प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों से 8.22 प्रतिशत अधिक है। योजना/परियोजनाओं के उद्ब्ययों का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

विकास के शीर्ष/सेक्टर	प्रस्तावित परिब्यय	(राशि ₹ करोड़ में)
		कुल से प्रतिशत
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	8057.51	6.90
2. ग्रामीण विकास	12873.74	11.03
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	149.33	0.13
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2939.45	2.52
5. विद्युत	30144.22	25.82
6. उद्योग एवं खनिज	679.08	0.58
7. यातायात	5829.09	4.99
8. वैज्ञानिक सेवाएं	21.98	0.02
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	50779.57	43.50
10. आर्थिक सेवाएं	1512.46	1.30
11. सामान्य सेवाएं	3749.53	3.21
योग	116735.96	100.00

क्षेत्रवार मुख्य-मुख्य विशेषताएं:

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं:

- कृषि विभाग के लिए ₹2,273.65 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ इसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना की राशि ₹1,050.00 करोड़ शामिल।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹256.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज, न्यूट्रीसिरियल एवं तिलहन) के लिए ₹224.17 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (ई.ए.पी.) हेतु ₹210.83 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹124.67 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के लिए ₹65.54 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए ₹45.20 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं बारानी क्षेत्र विकास) के लिए ₹41.88 करोड़ का प्रावधान।
- उद्यानिकी विभाग के लिए ₹369.96 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ सोलर पम्प सेट के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु ₹119.70 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ₹117.92 करोड़ एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु ₹71.75 करोड़ का प्रावधान।

- ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई स्थापना हेतु अतिरिक्त सहायता ₹21.78 लाख का प्रावधान।
- पांच कृषि विश्वविद्यालयों हेतु ₹183.32 करोड़ का प्रावधान।
- पशुपालन के लिए ₹414.28 करोड़ का प्रावधान। इसमें ₹84.43 करोड़ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर हेतु प्रावधान सम्मिलित।
 - ◆ पशु अस्पताल और औषधालय के लिए ₹133.18 करोड़
 - ◆ खुरपका मुँहपका रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए ₹35.84 करोड़
 - ◆ मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के लिए ₹31.43 करोड़
 - ◆ भेड़ एवं बकरी नस्ल सुधार योजना के लिए ₹17.25 करोड़
 - ◆ पशुनस्ल सुधार योजना के लिए ₹15.00 करोड़
 - ◆ पशुपोली क्लिनिक के लिए ₹12.74 करोड़
- गोपालन विभाग के लिए ₹713.94 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ गौशालाओं हेतु ₹508.00 करोड़ का अनुदान।
 - ◆ मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लिए ₹200.00 करोड़ का प्रावधान।
- मत्स्य विभाग के लिए ₹4.49 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹2.69 करोड़ नीली क्रांति हेतु सम्मिलित।
- वानिकी क्षेत्र के लिये ₹245.84 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹48.60 करोड़ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण (बाह्य सहायता प्राप्त) के लिये प्रस्तावित प्रावधान सम्मिलित।
- सहकारिता के लिये ₹3,763.98 करोड़ का प्रावधान। इसमें कृषि ऋण माफी योजना हेतु ₹3,240.00 करोड़, सहकारी संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिए ₹315.00 करोड़ एवं सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान हेतु ₹150.00 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल – 151.83 लाख हैक्टेयर
 - ◆ खाद्य फसलों का उत्पादन – 232.76 लाख टन
 - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 49.80 लाख हैक्टेयर
 - ◆ तिलहन का उत्पादन – 70.51 लाख टन
 - ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.05 लाख हैक्टेयर
 - ◆ गन्ना उत्पादन – 3.60 लाख टन
 - ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 6.00 लाख हैक्टेयर
 - ◆ कपास उत्पादन – 19.41 लाख गांठें
 - ◆ फल पौधारोपण – 6,655 हैक्टेयर
 - ◆ कृत्रिम गर्भाधान – 60.95 लाख
 - ◆ बंध्याकरण – 6.00 लाख

- ◆ मत्स्य बीज उत्पादन – 1,000 मिलियन (संख्या)
- ◆ मत्स्य उत्पादन – 58,000 मेट्रिक टन

2. ग्रामीण विकास:

- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹3,427.56 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹2,396.91 करोड़ का प्रावधान।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के लिए ₹2,100.28 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹1,600.21 करोड़ का प्रावधान।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹1,393.38 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आई.डबल्यू.एम.पी.-जल ग्रहण घटक) के लिए ₹500.36 करोड़ का प्रावधान।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹450.00 करोड़ का प्रावधान।
- जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता के लिए ₹438.05 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ₹279.00 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत 3,64,000 नये आवासों का निर्माण।
 - ◆ 60 हजार लोगों को भूखण्डों का आवंटन।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आई.डबल्यू.एम.पी.-जल ग्रहण घटक) के अन्तर्गत 5,50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जायेगा।
 - ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 55,083 स्वयं सहायता समूह का गठन।

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम:

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ₹135.33 करोड़ का प्रावधान।
- मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ₹7.00 करोड़ एवं मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹7.00 करोड़ का प्रावधान।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

- परवन परियोजना के लिये ₹550.00 करोड़ का प्रावधान।
- बाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु ₹487.59 करोड़ का प्रावधान, जिसमें मरुक्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के लिये (₹207.13 करोड़), राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका उन्नयन परियोजना के लिये (₹276.47 करोड़) एवं राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम के लिए (₹3.99 करोड़ सम्मिलित)।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए ₹473.58 करोड़ का प्रावधान।
- लघु सिंचाई कार्यों के लिये ₹321.86 करोड़ का प्रावधान।

- मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹246.05 करोड़ का प्रावधान जिसके अन्तर्गत गरडडा, तकली, ल्हासी, राजगढ़, गागरीन एवं हतियादेह इत्यादि।
- धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए ₹200.00 करोड़ का प्रावधान।
- नर्मदा परियोजना हेतु ₹111.24 करोड़ का प्रावधान।
- जयसमन्द परियोजना के लिए ₹50.00 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु ₹25.20 करोड़ का प्रावधान।
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए ₹25.00 करोड़ का प्रावधान।

महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ 22,800 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन, जिसके अन्तर्गत 12,800 हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा एवं 10,000 हैक्टेयर में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
- ◆ 12,058 हैक्टेयर भूमि विकास कार्य चम्बल सिंचित क्षेत्र में।

5. विद्युत:

- उदय योजनान्तर्गत वितरण कम्पनियों के ₹14,721.96 करोड़ ऋण को अनुदान एवं अंशदान में परिवर्तन।
- विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान योजना हेतु ₹10,301.00 करोड़।
- राज्य सरकार द्वारा ₹1,615.70 करोड़ का इक्विटी अंशदान।
- विद्युत शुल्क के प्रति अनुदान योजनान्तर्गत ₹1,569.49 करोड़।
- ◆ ₹67.31 करोड़ का प्रावधान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये जिसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा वितरण (₹18.31 करोड़) एवं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना (₹49.00 करोड़) हेतु प्रावधान।

6. उद्योग एवं खनन:

- HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए ₹245.52 करोड़ का प्रावधान।
- उद्योग विभाग हेतु ₹151.98 करोड़ का प्रावधान।
- दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर हेतु ₹136.58 करोड़ का प्रावधान।
- खान एवं भू-विज्ञान विभाग हेतु ₹26.82 करोड़ का प्रावधान।

7. परिवहन:

- ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु ₹1,172.66 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ 810 किमी. सड़कों का निर्माण एवं 2,592 किमी. मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण।
- राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत ₹1,070.00 करोड़ का प्रावधान।
- बाह्य सहायतित परियोजना – ₹1,050.00 करोड़ का प्रावधान जिसमें राजस्थान राज्य उच्च राजमार्ग परियोजना – I (₹900.00 करोड़) एवं राजस्थान राज्य उच्च राजमार्ग परियोजना – II (₹150.00 करोड़) हेतु प्रावधान।
- केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹750.00 करोड़ का प्रावधान।

- ◆ 328 किमी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतित सड़क कार्यों के लिए ₹628.00 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 5,000 किमी. सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सड़कों के निर्माण हेतु ₹250.00 करोड़।
- सीमा क्षेत्र सड़कों के निर्माण के लिए ₹215.49 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के लिए ₹195.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 80 किमी. सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए ₹100.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 141 किमी. नई सड़कों का निर्माण, ढाणी/मजरा में 20 किमी. सड़को का निर्माण, 1,609 किमी. सड़को का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- शहरी सड़कों के निर्माण के लिए ₹20.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 30 किमी. सड़को का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- परिवहन विभाग के लिये राशि ₹331.27 करोड़ का प्रावधान जिसमें राजस्थान पथ परिवहन निगम के लिये भी प्रावधान शामिल है।

8. वैज्ञानिक सेवाएं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये ₹19.12 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यावरण विभाग के लिये ₹2.86 करोड़ का प्रावधान

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं:

शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र हेतु कुल ₹19,563.32 करोड़ का प्रावधान।

- प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रावधान में शामिल है :-
 - ◆ सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹8,863.20 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ मिड-डे-मील के लिए ₹1,430.14 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण (RTE) हेतु ₹277.50 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹221.80 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ प्राथमिक विद्यालयों हेतु ₹85.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण हेतु ₹73.00 करोड़ का प्रावधान।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रावधान में शामिल है :-
 - ◆ माध्यमिक विद्यालयों हेतु ₹6,628.16 करोड़ का प्रावधान।

- ◆ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए ₹922.19 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ विद्यालयों भवनों के निर्माण कार्य नार्बाड के तहत ₹239.61 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ खण्डीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के मॉडल विद्यालयों की स्थापना हेतु ₹220.95 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति हेतु ₹206.20 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ ग्रामीण बालिकाओं के लिए साईकिल वितरण हेतु ₹100.00 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना हेतु ₹75.00 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ लेपटॉप वितरण (माध्यमिक शिक्षा) के लिए ₹60.00 करोड़ का प्रावधान।
- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिये ₹333.70 करोड़ का प्रावधान।
- कला एवं संस्कृति के लिये ₹71.37 करोड़ का प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा के लिये ₹44.35 करोड़ का प्रावधान।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिये ₹56.97 करोड़ का प्रावधान।
- संस्कृत शिक्षा के लिये ₹108.39 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र (आयुष सहित) के लिये ₹7,477.83 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹2,479.45 करोड़ का प्रावधान, जिसमें निम्न प्रावधान सम्मिलित
 - ◆ स्वास्थ्य बीमा योजना के लिये ₹631.00 करोड़
 - ◆ निःशुल्क दवा वितरण योजना के लिये ₹556.43 करोड़
 - ◆ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ₹335.98 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ₹296.07 करोड़।
 - ◆ नार्बाड सहायित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु ₹170.00 करोड़।
 - ◆ निःशुल्क जाँच योजना हेतु ₹136.95 करोड़।
 - ◆ स्वास्थ्य उप केन्द्र हेतु ₹133.11 करोड़।
 - ◆ जिला अस्पताल भवनों के निर्माण हेतु ₹74.33 करोड़।
 - ◆ 135 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 205 स्वास्थ्य उप केन्द्र हेतु भवन निर्माण।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए ₹1,860.68 करोड़ का प्रावधान।
- एम्बुलेन्स सेवा योजना के लिए ₹99.00 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिये ₹142.17 करोड़ का प्रावधान।
- परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹1,028.78 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹752.62 करोड़ ग्रामीण उप केन्द्र का प्रावधान शामिल।

- चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹1,693.89 करोड़ का प्रावधान, जिसमें नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये ₹307.17 करोड़ एवं झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसाइटी को अनुदान के ₹156.72 करोड़ एवं ₹102.60 करोड़ राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर हेतु सम्मिलित हैं।
- आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी) हेतु ₹170.19 करोड़ का प्रावधान।

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

- जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹4,943.12 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ शहरी एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹4,941.19 करोड़।
 - ◆ अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान के लिए ₹1.93 करोड़।
 - ◆ उक्त प्रावधान में बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए ₹400.00 करोड़ का प्रावधान जिसमें शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर की पुनर्संरचना (₹100.00 करोड़) एवं राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय परियोजना एवं फ्लोरोसिस मिटीगेशन परियोजना नागौर (₹300.00 करोड़)।

आवास एवं नगरीय विकास

- आवास एवं नगरीय विकास के लिये ₹4,669.46 करोड़ का प्रावधान।
- बाह्य सहायतित राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम हेतु ₹706.95 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास फण्ड के लिए ₹533.96 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹520.71 करोड़ का प्रावधान।
- अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना हेतु ₹430.00 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹299.00 करोड़ का प्रावधान
- जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-I 'ब' के लिए ₹227.00 करोड़ का प्रावधान।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिये ₹163.18 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस आवास के लिए हुडको को किश्त का भुगतान करने के लिए ₹114.22 करोड़ का प्रावधान।
- अन्नापूर्णा योजना के लिए ₹106.46 करोड़ का प्रावधान।
- स्मार्ट सिटी योजना हेतु ₹60.00 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए ₹47.91 करोड़ का प्रावधान।

श्रम एवं श्रम कल्याण

- रोजगार विभाग के लिए ₹531.59 करोड़ का प्रावधान जिसमें से ₹524.07 करोड़ राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के लिए।
- तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग के लिए ₹154.85 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के लिये ₹54.19 करोड़ का प्रावधान।

पिछड़ी जातियों का कल्याण तथा समाज कल्याण

- वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजनों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान पेंशन योजना हेतु ₹6,288.96 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 50.38 लाख व्यक्ति लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹804.09 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 6,83,873 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत ₹455.22 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 7.51 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने हेतु ₹283.53 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ बी.पी.एल. परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा के लिए जनश्री बीमा योजना हेतु ₹4.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 1.18 लाख विधवाओं को पेंशन प्रदान करने हेतु ₹154.74 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 21,238 व्यक्तियों को विशेष योग्यजन पेंशन हेतु ₹12.95 करोड़ का प्रावधान।
- लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹300.00 करोड़ का प्रावधान।
- पालनहार योजना के लिए ₹260.00 करोड़ का प्रावधान – 2.50 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- देवनारायण योजना के लिए ₹181.88 करोड़ का प्रावधान।
- छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए ₹125.59 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत ₹60.00 करोड़ का प्रावधान।
- सड़क दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं व अन्य दुर्घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु ₹45.00 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ₹33.26 करोड़ का प्रावधान।
- अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु ₹27.50 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए ₹26.00 करोड़ का प्रावधान।
- अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि के लिये ₹18.25 करोड़ का प्रावधान।
- सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों के विवाह पर ₹15,000/- वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ₹14.90 करोड़ का प्रावधान।

विशेष योग्यजन निदेशालय

- विशेष योग्यजन निदेशालय के लिए ₹61.27 करोड़ का प्रावधान निम्न गतिविधियों हेतु:—
 - ◆ 6,000 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता।

- ◆ 150 व्यक्तियों को विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति।
- ◆ 1,400 विशेष योग्यजन मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत लाभान्वितों को अनुदान।
- ◆ 15 विशेष योग्यजन के लिए अनुप्रति योजनान्तर्गत सहायता।
- ◆ 250 विशेष योग्यजनों के विवाह हेतु सहायता।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास

- जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये “जनजाति कल्याण निधी” अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में ₹344.12 करोड़ का प्रावधान।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत ₹155.63 करोड़ का प्रावधान।
- विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹85.90 करोड़ का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹378.18 करोड़ का प्रावधान निम्न गतिविधियों हेतु:-
 - ◆ साथिनों को मानदेय का भुगतान।
 - ◆ प्रबन्धकीय क्षमता विकास एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।
 - ◆ सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु।
 - ◆ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण चुकाने पर सहायता।
 - ◆ मुख्यमंत्री राजश्री योजनान्तर्गत सहायता।
- पोषाहार हेतु ₹2,370.23 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 54.83 लाख बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषाहार द्वारा लाभान्वित करने हेतु।
 - ◆ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय भुगतान हेतु।
 - ◆ समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत प्रशासन एवं प्रशिक्षण के लिए।

अल्पसंख्यक विकास

- अल्पसंख्यक विकास के लिए ₹144.08 करोड़ का प्रावधान जिसके अन्तर्गत मदरसा स्कूल हेतु ₹65.35 करोड़ तथा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिये ₹61.24 करोड़ सम्मिलित।

बाल अधिकारिता निदेशालय

- बाल अधिकारिता निदेशालय के लिए ₹57.60 करोड़ का प्रावधान, जिसके अन्तर्गत समग्र बाल संरक्षण योजनान्तर्गत ₹43.90 करोड़ तथा बाल गृह/सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए ₹6.60 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित।

देवस्थान विभाग

- देवस्थान विभाग के लिए ₹25.39 करोड़ का प्रावधान, जिसमें से ₹14.00 करोड़ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए।

10. आर्थिक सेवाएं:

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए ₹678.96 करोड़ का प्रावधान।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु ₹582.64 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु ₹572.87 करोड़ की राशि भी शामिल।
- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए ₹125.57 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन विभाग के लिये ₹114.45 करोड़ का प्रावधान।

11. सामान्य सेवाएं:

- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के लिए ₹2,504.99 करोड़ का प्रावधान।
- वाणिज्य कर विभाग हेतु ₹409.38 करोड़ का प्रावधान जिसमें राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति-2003 के तहत अनुदान हेतु ₹394.36 करोड़ का प्रावधान।
- जोधपुर में उच्च न्यायालय के नये भवन एवं अन्य न्यायिक भवनों के लिए ₹298.17 करोड़।
- पुलिस आधुनिकीकरण एवं पुलिस भवनों के लिए ₹224.67 करोड़।
- होम गार्ड्स विभाग के लिए ₹96.19 करोड़ का प्रावधान।
- सामान्य प्रशासन विभाग के भवनों के लिए ₹28.38 करोड़।
- जेल भवनों के लिए ₹24.17 करोड़।
- कोष एवं लेखा विभाग के लिए ₹17.44 करोड़।

HIGHLIGHTS

SCHEMES / PROJECTS OUTLAY

2019-20

Highlights of Schematic Budget - Modified Outlay 2019-20

₹1,16,735.96 crore are proposed as Schemes in Modified Outlay 2019-20 which is 8.22 % more than the BE 2018-19. The major head-wise break-up of the Scheme-wise outlay is as under:-

(₹in crore)			
S. No.	Head of Development /Sectors	Proposed Outlay	% to Total
1.	Agriculture & Allied Services	8057.51	6.90
2.	Rural Development	12873.74	11.03
3.	Special Area Programme	149.33	0.13
4.	Irrigation & Flood Control	2939.45	2.52
5.	Power	30144.22	25.82
6.	Industry & Minerals	679.08	0.58
7.	Transport	5829.09	4.99
8.	Scientific Services	21.98	0.02
9.	Social & Community Services	50779.57	43.50
10.	Economic Services	1512.46	1.30
11.	General Services	3749.53	3.21
Total		116735.96	100.00

Sector-wise Highlights:-

I. Agriculture & Allied Services

- Provision of ₹2,273.65 crore for Agriculture Department
 - Includes provision of ₹1,050.00 crore for Weather based Crop Insurance Scheme.
 - Provision of ₹256.00 crore for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).
 - Provision of ₹224.17 crore for National Food Security Mission (Wheat, Pulses, Coarse Cereal, Nutri Cereal & Oilseeds)
 - Provision of ₹210.83 crore for Externally Aided Rajasthan Agriculture Competitive Project.
 - Provision of ₹124.67 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
 - Provision of ₹65.54 crore for National Mission on Agriculture Extension and Technology.
 - Provision of ₹45.20 crore for Paramparagat Krishi Sinchai Yojana
 - Provision of ₹41.88 crore for National Mission on Sustainable Agriculture (Soil Health Management & Rain fed Area Development)
- Provision of ₹369.96 crore for Horticulture Department.
 - Provision of ₹119.70 crore for additional subsidy for Solar Pump Sets
 - Provision of ₹117.92 crore for Micro Irrigation Scheme and ₹71.75 crore for National Horticulture Mission
 - ₹21.78 crore for additional subsidy for drip irrigation installation under Micro Irrigation Scheme

- Provision of ₹183.32 crore for Five Agriculture Universities.
- Provision of ₹414.28 crore for Animal Husbandry which includes a provision of ₹84.43 crore for Veterinary & Animal Science University, Bikaner
 - ₹133.18 crore for Veterinary Hospitals and Dispensaries.
 - ₹35.84 crore for Foot & Mouth Disease Control Programme
 - ₹31.43 crore for Mukhyamantri Pasudhan Nishulk Dava Yojana.
 - ₹17.25 crore for Sheep & Goat Breed Improvement Scheme
 - ₹15.00 crore for Livestock Breed Improvement Scheme
 - ₹12.74 crore for Veterinary Polyclinics
- Provision of ₹713.94 crore for Gopalan Department
 - Provision of ₹508.00 crore for Grant to Goshalas
 - Provision of ₹200.00 crore for Mukhyamantri Milk Producer Sambal Scheme
- Provision of ₹4.49 crore for Fisheries Department including ₹2.69 crore for Blue Revolution.
- Provision of ₹245.84 crore for Forestry which includes a provision of ₹48.60 crore for Externally Aided Rajasthan Forest and Bio-diversity Project Phase-II.
- Provision of ₹3,763.98 crore for Cooperative, which includes ₹3,240.00 crore for Agriculture Loan Waiver Scheme, ₹315.00 crore for Interest Subsidy for Credit Cooperative Institutions and ₹150.00 crore for Interest Subsidy to Good Loanee of Cooperative Societies.
- Important physical targets:
 - Area under Food Crops – 151.83 lakh ha.
 - Production of Food Crops – 232.76 lakh tonnes
 - Area under Oilseeds – 49.80 lakh ha.
 - Production of Oilseeds – 70.51 lakh tonnes
 - Area under Sugarcane – 0.05 lakh ha.
 - Production of Sugarcane – 3.60 lakh tonnes
 - Area under Cotton – 6.00 lakh ha.
 - Production of Cotton – 19.41 lakh bales
 - Fruit Plantation – 6,655 ha.
 - Artificial Insemination – 60.95 lakhs
 - Castration – 6.00 lakhs
 - Fish Seed Production – 1,000 Million (No.)
 - Fish Production – 58,000 MT

II. Rural Development

- Provision of ₹3,427.56 crore as Grants to PRIs under 14th Finance Commission
- Provision of ₹2,396.91 crore for Pradhan Mantri Awas Yojana - Grameen

- Provision of ₹2,100.28 crore for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MG NREGS)
- Provision of ₹1,600.21 crore as Grants to PRIs under State Finance Commission
- Provision of ₹1,393.38 crore for Swachh Bharat Mission (Rural)
- Provision of ₹500.36 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (IWMP-Watershed Component)
- Provision of ₹450.00 crore for MLA Local Area Development Scheme
- Provision of ₹438.05 crore for aid to Zila Parishad / District Level Panchayats
- Provision of ₹279.00 crore for National Rural Livelihood Mission

Important physical targets:

- Construction of 3,64,000 new houses under Pradhan Mantri Awas Yojana
- Plots to be allotted to 60,000 persons
- 5,50,000 ha. area to be treated under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (IWMP - Watershed Component)
- Formation of 55,083 Self Help Groups under National Rural Livelihood Mission

III. Special Area Programme

- Provision of ₹135.33 crore for Border Area Development Programme
- Provision of ₹7.00 crore for Magra Area Development and ₹7.00 crore for Mewat Area Development Programme

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of ₹550.00 crore for Parwan Project
- Includes provision of ₹487.59 crore for Externally Aided Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area (₹207.13 crore), Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (₹276.47 crore) and State Partnership Irrigation Project (₹3.99 crore).
- Provision of ₹473.58 crore for Indira Gandhi Nahar Project
- Provision of ₹321.86 crore for other Minor Irrigation Works
- Provision of ₹246.05 crore for Medium Irrigation Projects viz. Gardada, Takli, Lhasi, Rajgarh, Gagrini, Hatiadeh etc.
- Provision of ₹200.00 crore for Dholpur Lift Project
- Provision of ₹111.24 crore for Narmada Project
- Provision of ₹50.00 crore for Jaisamand Project
- Provision of ₹25.20 crore for minor irrigation projects under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
- Provision of ₹25.00 crore for Eastern Rajasthan Canal Project

Important physical targets:

- Additional irrigation potential to be created in 22,800 hectares of which 12,800 ha. through Minor Irrigation Schemes and 10,000 ha. through Medium Irrigation Projects
- Construction of OFD works under 12,058 ha. in Chambal Command Area

V. Power

- ₹14,721.96 crore of conversion of loan of Discoms into Grant in aid and Equity under Uday
- Provision of ₹10,301.00 crore Grant for not increase in Power Tariff
- ₹1,615.70 crore as equity support to Power Companies
- Provision of ₹1,569.49 crore as subsidy for Electricity Duty
- Provision of ₹67.31 crore for Externally Aided Rajasthan Renewable Energy Transmission Investment Programme (₹18.31 crore) and Green Energy Corridor Project (₹49.00 crore)

VI. Industry and Minerals

- Provision of ₹245.52 crore for HPCL Rajasthan Refinery Ltd.
- Provision of ₹151.98 crore for Industries Department
- Provision of ₹136.58 crore for Delhi-Mumbai Industrial Corridor
- Provision of ₹26.82 crore for Mines & Geology Deptt.

VII. Transport

- Provision of ₹1,172.66 crore for Rural Roads.
 - Construction of 810 km. roads and 2,592 km. Missing Link Roads.
- Provision of ₹1,070.00 crore under State Road Development Fund
- Provision of ₹1,050.00 crore for Externally Aided Rajasthan State Highway Development Project-I (₹900.00 crore) and Rajasthan State Highway Development Project-II (₹150.00 crore)
- Provision of ₹750.00 crore under Central Road Fund (CRF)
 - Strengthening, Modernization and Renovation of 328 km. State Highways & Major District Roads.
- Provision of ₹628.00 crore for NABARD assisted road works under RIDF
 - Strengthening, Modernization and Renovation of 5,000 km. roads
- Provision of ₹250.00 crore for construction of Roads in National Capital Region
- Provision of ₹215.49 crore for construction of Border Area Roads
- Provision of ₹195.00 crore for Strengthening, Modernization and Renovation of State Highways & Major District Roads
 - Strengthening, Modernization and Renovation of 80 Km. Roads
- Provision of ₹100.00 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

- Construction of 141 kms. New Roads, Construction of 20 Km. roads in Dhani/Magra and Strengthening, Modernization and Renovation of 1609 Km. Roads
- Provision of ₹20.00 crore for construction of Urban Roads
 - Strengthening, Modernization and Renovation of 30 Km. Roads
- Provision of ₹331.27 crore for Transport Department which includes provision for RSRTC also.

VIII. Scientific Services

- Provision of ₹19.12 crore for Science & Technology
- Provision of ₹2.86 crore for Environment Department

IX. Social & Community Services:

Education

Total provision of ₹19,563.32 crore for Education Sector

- Provision for Elementary Education includes:
 - ₹8,863.20 crore for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)
 - ₹1,430.14 crore for Mid-Day Meal
 - ₹277.50 crore for reimbursement to Private Schools under R.T.E.
 - ₹221.80 crore for Boys Upper Primary Schools
 - ₹85.00 crore for Primary Schools
 - ₹73.00 crore for Free Books distribution in Government Schools of class 1 to 8 students
- Provision for Secondary Education includes
 - ₹6,628.16 crore for Secondary Schools
 - ₹922.19 crore for Rashtriya Madhayamic Shiksha Abhiyan
 - ₹239.61 crore for Construction of School Buildings under NABARD
 - ₹220.95 crore for establishment of High Quality Model Schools at Block Level
 - ₹206.20 crore for Pre-Matric Scholarship to SC/ST/OBC
 - ₹100.00 crore for Cycle Distribution to Girl students of Rural Area
 - ₹75.00 crore for Mukhyamantri Jan Sahbhagita School Development Scheme
 - ₹60.00 crore for Laptop Distribution (Middle School)
- Provision of ₹333.70 crore for University and other Higher Education
- Provision of ₹71.37 crore for Arts & Culture
- Provision of ₹44.35 crore for Technical Education
- Provision of ₹56.97 crore for Sports & Youth Welfare
- Provision of ₹108.39 crore for Sanskrit Education

Medical & Health

- Provision of ₹7,477.83 crore for Medical & Health Sector including Ayush

- Provision of ₹2,479.45 crore for Medical & Health Department which, includes
 - ₹631.00 crore for Health Insurance Scheme
 - ₹556.43 crore for Nisulk Drug Distribution Scheme
 - ₹335.98 crore for Primary Health Centers
 - ₹296.07 crore for Community Health Centers
 - ₹170.00 crore for construction of Primary Health Centers and Community Health Centers under NABARD
 - ₹136.95 crore for Nisulk Janch Yojana
 - ₹133.11 crore for Health Sub Centers
 - ₹74.33 crore for construction of District Hospitals Buildings
 - Construction of 135 PHCs, 28 CHCs and 205 Sub-centres buildings.
- Provision of ₹1,860.68 crore for National Rural Health Mission (NRHM)
- Provision of ₹99.00 crore for Ambulance Service Yojana
- Provision of ₹142.17 crore for National Urban Health Mission
- Provision of ₹1028.78 crore for Family Welfare Department which includes ₹752.62 crore for Rural Sub Centres.
- Provision of ₹1,693.89 crore for Medical Education, which includes ₹307.17 crore for New Medical Colleges, ₹156.72 crore for Grant-in-aid to Jhalawar Hospital & Medical College Society and ₹102.60 crore for Rajasthan Health Science University, Jaipur.
- Provision of ₹170.19 crore for Ayush (Ayurved, Unani and Homeopathy)

PHED

- Provision of ₹4,943.12 crore for Water Supply Schemes
 - ₹4,941.19 crore for Urban and Rural Water Supply Schemes
 - ₹1.93 crore for Training Institute for Engineering Subordinates
 - Provision includes ₹400.00 crore for Externally Aided Reorganization of Urban Water Supply Project, Jodhpur (₹100.00 crore) and Rajasthan Rural Water Supply Project & Fluorosis Mitigation Project, Nagaur (₹300.00 crore).

Housing & Urban Development

- Provision of ₹4,669.46 crore for Housing & Urban Development
 - Provision of ₹706.95 crore for Externally Aided Rajasthan Urban Sector Development Investment Programme
 - Provision of ₹533.96 crore for Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund
 - Provision of ₹ 520.71 crore as grants to ULBs under State Finance Commission
 - Provision of ₹430.00 crore for Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) Yojana
 - Provision of ₹299.00 crore for Pradhan Mantri Aawas Yojana
 - Provision of ₹227.00 crore for Jaipur Metro Rail Project Phase-I-B
 - Provision of ₹163.18 crore for Swachh Bharat Mission

- Provision of ₹114.22 crore for payment of installment to HUDCO for Police Housing
- Provision of ₹106.46 crore for Annapurna Yojana
- Provision of ₹60.00 crore for Smart City Yojana
- Provision of ₹47.91 crore for National Urban Livelihood Mission

Labour & Labour Welfare

- Provision of ₹531.59 crore for Employment Department, out of which ₹524.07 crore for Rajasthan Unemployment Allowance
- Provision of ₹154.85 crore for Technical (Training) Education
- Provision of ₹54.19 crore for Rajasthan Skill & Livelihood Development Corporation (RSLDC)

Welfare of Backward Classes & Social Welfare

- Provision of ₹6,288.96 crore for Chief Minister Samman Pension Yojana for old age, widow & specially abled persons
 - To benefit 50.38 lakh persons
- Provision of ₹804.09 crore for Post-Matric Scholarship to SC/ST/OBC Students
 - Target to benefit 6,83,873 students
- Provision of ₹455.22 crore under National Social Assistance Programme (NSAP)
 - ₹283.53 crore for Old-age Pension to provide pension to 7.51 lakh persons
 - ₹4.00 crore for Jan Shree Bima Yojana for Life insurance coverage of BPL families
 - ₹154.74 crore for Widow Pension to provide pension to 1.18 lakh widows
 - ₹12.95 crore for Disability Pension to provide pension to 21,238 persons
- Provision of ₹300.00 crore for Small & Marginal Old Farmers Samman Pension Scheme
- Provision of ₹260.00 crore for Palanhar Scheme to benefit 2.50 lakh persons
- Provision of ₹181.88 crore for Devnarayan Yojana
- Provision of ₹125.59 crore for maintenance of Hostels
- Provision of ₹60.00 crore for Special Central Assistance to SCSP
- Provision of ₹45.00 crore for Chief Minister Relief Fund for Road Accident, Natural Calamities, Disaster Relief & others
- Provision of ₹33.26 crore for construction of SC/ST/OBC/EBC Hostel Buildings
- Provision of ₹27.50 crore for Protection of Civil Rights to SCs/STs
- Provision of ₹26.00 crore for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
- Provision of ₹18.25 crore for incentive to Inter-caste Marriage

- Provision of ₹14.90 crore for Sahayog Scheme to provide financial assistance of ₹15,000 to BPL families for daughter marriage

Directorate of Specially Abled Person

- Provision of ₹61.27 crore for Directorate of Specially Abled Person to provide
 - Prosthetic Aid to 6,000 persons
 - Scholarship to 150 Specially Abled Students
 - Subsidy to 1400 persons under Mukhya Mantri Vishesh Yogyjan Swarojagar Yojana
 - Assistance to 15 persons under Anupriti Yojana
 - Assistance to 250 special abled persons for marriage

Tribal Area Development

- Provision of ₹344.12 crore as untied grant under the "Janjati Kalyan Nidhi" for the development of tribal areas
- Provision of ₹155.63 crore under Article 275(1) of the Constitution
- Provision of ₹85.90 crore as Special Central Assistance (SCA)

Women and Child Development

- Provision of ₹378.18 crore for Women Development programme which includes
 - Payment of Honorarium to Sathins
 - For imparting training in managerial capacity building and income generating activities.
 - For providing grant for Community Marriages.
 - For providing assistance to Women SHGs for timely repayment of loan
 - For providing assistance under Mukhyamantri Rajshree Yojana
- Provision of ₹2,370.23 crore for Nutrition
 - To benefit 54.83 lacs children and women through Supplementary Nutrition
 - For payment of Honorarium to Anganwari Workers and Helpers
 - For administration and training under ICDS

Minority Development

- Provision of ₹144.08 crore for Minority Development Programme includes ₹65.35 crore for Madarsa Schools and ₹61.24 crores for Multi Sector Development Programme

Directorate of Child Empowerment

- Provision of ₹57.60 crore for Directorate of Child Empowerment includes ₹43.90 crore for Integrated Child Protection Scheme and ₹6.60 crore for construction of Observation/Children House Building.

Devasthan Department

- Provision of ₹25.39 crore for Devasthan Department includes ₹14.00 crore for Varistha Nagrik Tirth Yatra Yojana

X. Economic Services

- Provision of ₹678.96 crore for Information Technology & Communication Department
- Provision of ₹582.64 crore for Food & Civil Supply includes funds of ₹572.87 crore for National Food Security Scheme
- Provision of ₹125.57 crore for Economic & Statistics Department.
- Provision of ₹114.45 crore for Tourism Department.

XI. General Services

- ₹2,504.99 crore for Disaster Management and Relief Department.
- ₹409.38 crore for Commercial Tax Department which includes ₹394.36 crore for subsidy under Rajasthan Investment Promotion Policy.
- ₹298.17 crore for Judicial Buildings and new building for High Court, Jodhpur
- ₹224.67 crore for modernization of Police & Police Buildings,
- ₹96.19 crore for Home Guard Department
- ₹28.38 crore for GAD Buildings,
- ₹24.17 crore for Jail Buildings,
- ₹17.44 crore for Treasuries & Accounts.
